



The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Daily
NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Friday, August 14, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- राज्यसभा ने खनिज भूमि और राज्य शुल्कों के व्यापक केंद्रीय विनियमन के लिए **खान और खनिज संशोधन विधेयक** पर चर्चा की
- अमित शाह ने **पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप** लॉन्च किया
- संसद ने **सहकारी क्षेत्र के वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी संशोधन विधेयक** पारित किया
- संसद ने मलयालम भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने के लिए **केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए विधेयक** पारित किया
- भारतीय नौसेना ने **समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी जहाज निर्माण को मजबूत करने के लिए जीआरएसई में अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत श्रुति** का शुभारंभ किया
- स्काईरूट एयरोस्पेस ने **पृथ्वी अवलोकन और पेलोड प्रदर्शन मिशनों के लिए एचईएक्स20 स्पेस के साथ तीन-लॉन्च विक्रम-1 समझौते पर हस्ताक्षर किए**
- बीएआरसी के पूर्व परमाणु वैज्ञानिक **एम. पी. परमेश्वरन** का 91 वर्ष की आयु में निधन
- गुजरात ने किसान प्रशिक्षण और सतत कृषि के लिए 20 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ **चार प्राकृतिक कृषि उत्कृष्टता केंद्रों** को मंजूरी दी
- सीजेडए ने 542.14 करोड़ रुपये के निवेश के साथ **जूना डीसा** में एशिया की पहली डेजर्ट-थीम वाली ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी को मंजूरी दी
- **हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026** में अंबानी परिवार सबसे ऊपर है, इसके बाद बिड़ला और जिंदल परिवार हैं

खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2026: खनिज विनियमन में व्यापक केंद्रीय भूमिका



- राज्यसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा की, जो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन करना चाहता है। विधेयक का उद्देश्य खनिज भूमि के विनियमन को मजबूत करना, निवेश को बढ़ावा देना और खनन क्षेत्र में अधिक निश्चितता सुनिश्चित करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- विधेयक में केंद्र सरकार को खनिज युक्त भूमि को विनियमित करने और खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों द्वारा लगाए गए निर्दिष्ट करों, उपकर और अन्य शुल्कों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य बहुविध और अप्रत्याशित शुल्कों को कम करना, खनन व्यवहार्यता में सुधार करना और घरेलू खनिज उत्पादन को मजबूत करना है।

संवैधानिक संदर्भ:

- यह मुद्दा केंद्र-राज्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रवेश-द्वार	तालिका	विवरण
प्रविष्टि 54	संघ सूची	खानों का विनियमन और संसदीय नियंत्रण में खनिज विकास।
प्रवेश 23	राज्य सूची	खानों और खनिज विकास का विनियमन, प्रविष्टि 54 के अध्वधीन।
प्रवेश 50	राज्य सूची	खनिज अधिकारों पर कर, संसदीय सीमाओं के अध्वधीन।
प्रवेश 49	राज्य सूची	भूमि और भवनों पर कर।

- इस प्रकार, विधेयक राजकोषीय संघवाद और राज्य कराधान को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति के बारे में सवाल उठाता है।

सुप्रीम कोर्ट लिंक:

- प्रस्तावित परिवर्तन खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले की पृष्ठभूमि में आते हैं, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी एक कर नहीं है और संवैधानिक सीमाओं के अधीन खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को मान्यता देता है।
- 2026 विधेयक खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि से संबंधित कुछ राज्य शुल्कों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जिससे केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध और संघवाद कानून का एक महत्वपूर्ण आयाम बन जाता है।

रॉयल्टी बनाम टैक्स

रॉयल्टी	टैक्स
खनिज अधिकारों के उपभोग/निष्कर्षण से जुड़ा भुगतान	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई अनिवार्य लेवी
खनन/कानूनी ढांचे द्वारा शासित	कर शक्ति के तहत लगाया गया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है	राज्य कराधान शक्तियां संवैधानिक प्रविष्टियों से प्राप्त होती हैं

महत्व:

- यह विधेयक भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो ईवी, बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का पूरक है, जो अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, विदेशी अधिग्रहण और पुनर्चक्रण को मजबूत करना चाहता है।

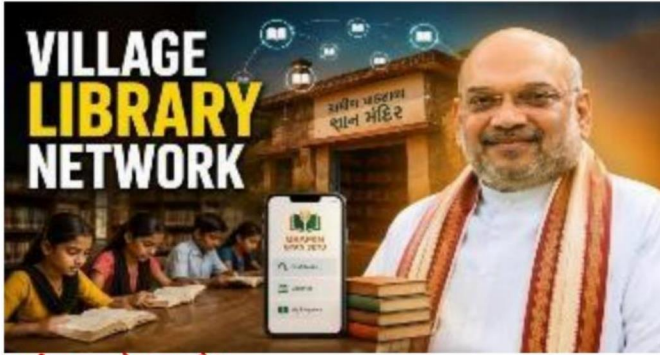
परीक्षा फोकस बिंदु:

- अधिनियम: एमएमडीआर अधिनियम, 1957
- मुख्य मुद्दा: खनिज-युक्त भूमि और राज्य लेवी
- संवैधानिक लिंक: राज्य सूची की प्रविष्टियां 23 और 50 और संघ सूची की प्रविष्टि 54।
- प्रमुख न्यायिक लिंक: खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2024।
- सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष: रॉयल्टी कोई कर नहीं है।
- रणनीतिक लिंक: महत्वपूर्ण खनिज और खनिज सुरक्षा।

गांधीनगर में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया गया

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया है। यह पहल पुस्तकालयों को एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकों और सीखने के संसाधनों तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है।



ग्रामीण ज्ञान सेतु क्या है?

- ऐप को स्थानीय पुस्तकालयों को एकीकृत करने, उपलब्ध पढ़ने के संसाधनों तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने और ज्ञान-साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह पहल डिजिटल समावेशन, ग्रामीण शिक्षा और आजीवन सीखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच में भौगोलिक सीमाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ लिंक:

- यह पहल एनईपी 2020 के अनुरूप है, जो सार्वजनिक पुस्तकालयों को मजबूत और आधुनिक बनाने, ग्रामीण पुस्तकालयों और वाचनालय स्थापित करने, भारतीय भाषाओं में पुस्तकों तक पहुंच में सुधार और डिजिटल पुस्तकालयों के विस्तार पर जोर देती है। एनईपी में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भी परिकल्पना की गई है।

अतिरिक्त तथ्य: भारत में डिजिटल शिक्षा

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय:

- शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक डिजिटल पहल, भाषाओं, शैलियों और भौगोलिक स्थानों में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी संशोधन विधेयक, 2026 पारित



दीक्षा:

- ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा - व्यापक डिजिटल-शिक्षा ढांचे के तहत स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच।

पीएम ई-विद्या:

- दीक्षा, टेलीविजन, रेडियो और पॉडकास्ट सहित डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के कई तरीकों को एकीकृत करता है।

संवैधानिक संदर्भ:

- अनुच्छेद 21A: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है - मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
- पुस्तकालय और डिजिटल-पहुंच पहल शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार करके इस संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करती हैं।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान अंक: गांधीनगर में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुस्तकालयों को एकीकृत करना।
- स्थान: गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात।
- मुख्य विषय: डिजिटल समावेशन, ग्रामीण शिक्षा, पुस्तकालय और आजीवन शिक्षा।
- नीति लिंक: एनईपी 2020।
- डिजिटल एजुकेशन लिंक: दीक्षा, पीएम ई-विद्या, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय
- संवैधानिक लिंक: अनुच्छेद 21 ए - शिक्षा का अधिकार

- संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिसे लोकसभा के बाद राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करता है और सहकारी क्षेत्र के वित्तपोषण और बढ़ावा देने में एनसीडीसी की भूमिका का विस्तार करने का प्रयास करता है।

विधेयक में क्या प्रस्ताव है?

संशोधन एनसीडीसी के परिचालन दायरे को इस प्रकार विस्तृत करता है:

- एनसीडीसी को औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित गतिविधियों को करने की अनुमति देना।

- सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को एनसीडीसी वित्त पोषण का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम बनाना।
- एनसीडीसी को सहकारी समितियों और सहकारी विकास में लगी संस्थाओं को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करने की अनुमति देना।
- सुधारों का उद्देश्य वित्त तक पहुंच में सुधार करना और सहकारी गतिविधियों के विविधीकरण का समर्थन करना है।

NCDC के बारे में:

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना 1963 में एनसीडीसी अधिनियम, 1962 के आधार पर संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम है।

इसकी गतिविधियों में शामिल सहकारी समितियों का वित्तपोषण शामिल है:

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र
- डेयरी और मत्स्य पालन
- खाद्य प्रसंस्करण
- भंडारण और कोल्ड चेन
- विपणन (मार्केटिंग)
- हथकरघा और रेशम उत्पादन
- ग्रामीण उद्योग
- एनसीडीसी दीर्घकालिक परियोजनाओं और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

महत्व:

- यह संशोधन विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण समुदायों के बीच सहकारी आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां किसानों की सौदेबाजी की शक्ति में सुधार कर सकती हैं, एक्त्रीकरण और विपणन की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, रोजगार पैदा कर सकती हैं और ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत कर सकती हैं।
- सरकार ने 2025-26 से 2028-29 के लिए एनसीडीसी को 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को भी मंजूरी दी है, जिससे यह सहकारी क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने में सक्षम हो सके।

संसद में विधेयक पारित होने के बाद केरल का नाम बदलकर 'केरलम' कर दिया जाएगा

- संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है, जिसे लोकसभा ने एक दिन पहले पारित करने के बाद इसे मंजूरी दे दी है।
- इस विधेयक में संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम "केरल" से बदलकर "केरलम" करने का प्रयास किया गया है।

अतिरिक्त तथ्य: सहकारी क्षेत्र:

- भारत में लगभग 30 करोड़ सदस्यों के साथ 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। PACS को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और कई व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाई जा रही है।
- सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और "सहकार से समृद्धि" के सिद्धांत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

संवैधानिक संदर्भ:

- अनुच्छेद 43ख: राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011: अनुच्छेद 43B पेश करके, अनुच्छेद 19(1)(c) में "सहकारी समितियों" को जोड़कर और भाग IXB को शामिल करके सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
- हालाँकि, भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भाग IXB, जहां तक यह राज्यों के भीतर सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 368(2) के तहत आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान मुद्दा: NCDC संशोधन विधेयक, 2026 संसद द्वारा पारित।
- मूल कानून: एनसीडीसी अधिनियम, 1962।
- एनसीडीसी की स्थापना: 1963।
- मंत्रालय: सहकारिता मंत्रालय।
- महत्वपूर्ण बदलाव: एनसीडीसी के विस्तारित वित्तपोषण और परिचालन दायरे।
- संवैधानिक लिंक: अनुच्छेद 43B; अनुच्छेद 19(1)(सी); भाग IXB।
- मुख्य मामला: भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह, 2021।
- नीति विषय: सहकारिता के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन।

- यह कदम केरल विधानसभा के एक अनुरोध के बाद उठाया गया है, जिसने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था।

"केरलम" क्यों?

- केरलम मलयालम में राज्य का नाम है, और प्रस्तावित परिवर्तन संवैधानिक नाम को अपनी मलयालम पहचान और भाषाई विरासत के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2026 में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।



संवैधानिक और कानूनी संदर्भ:

संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को कानून द्वारा यह अधिकार देता है:

- एक नया राज्य बनाएं।
- किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना।
- किसी राज्य की सीमाओं को बदलना।
- किसी राज्य का नाम बदलना।
- इस तरह के विधेयक को पुरस्थापित करने से पहले, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। जहां प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, राष्ट्रपति इसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजता है।

अनुच्छेद 4:

- अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकता है और परिणामी प्रावधान कर सकता है। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के रूप में नहीं माना जाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी) 'श्रुति' (यार्ड 3037) को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता में लॉन्च किया गया था।

श्रुति और NGOPV के बारे में:

- केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था, जो मुख्य रूप से मलयालम भाषी क्षेत्रों के लिए भाषाई आधार पर था।
- केरल पिरावी दिवस: 1 नवंबर।
- केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर नाम बदलने की मांग की।

महत्व:

- यह कदम भारत के राज्य पुनर्गठन में भाषा, सांस्कृतिक पहचान और संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह अनुच्छेद 3 के तहत निर्धारित परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के नामों को बदलने की संसद की संवैधानिक शक्ति को भी प्रदर्शित करता है।

अतिरिक्त तथ्य:

- पहली अनुसूची: भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है।
- चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटें आवंटित करती है।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: मुख्य रूप से भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का एक बड़ा पुनर्गठन किया गया।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान मुद्दा: केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 संसद द्वारा पारित।
- नया नाम: केरलमा।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 3.
- प्रासंगिक अनुसूची: पहली अनुसूची।
- राज्य संकल्प: 24 जून 2024।
- राज्य गठन: 1 नवंबर 1956।
- मुख्य अवधारणा: संसद सामान्य कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदल सकती है; अनुच्छेद 368 प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की ओपीवी 'श्रुति' को जीआरएसई में लॉन्च किया गया

- एनजीओपीवी कार्यक्रम में समुद्री निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जहाज शामिल हैं। जहाज लगभग 113 मीटर लंबे, 14.6 मीटर चौड़े हैं, जिनमें लगभग 3,000 टन का विस्थापन, 23 समुद्री मील तक की गति और 14 समुद्री मील पर 8,500 समुद्री मील की सहनशक्ति है।

वे कई भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा
- एंटी-पायरेसी और एंटी-स्मगलिंग ऑपरेशन
- अवैध शिकार और तस्करी विरोधी नियंत्रण
- खोज और बचाव (एसएआर)
- मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर)
- गैर-लड़ाकू निकासी अभियान
- अपतटीय परिसंपत्तियों का संरक्षण
- विजिट, बोर्ड, खोज और जब्ती (VBSS) संचालन
- विशेष और आउट-ऑफ-एरिया आकस्मिक संचालन



महत्व:

- यह पोत हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत के समुद्री डोमेन जागरूकता और उपस्थिति को मजबूत करता है, विशेष रूप से अपतटीय आर्थिक संपत्तियों की रक्षा और सुरक्षित समुद्री लेन बनाए रखने के लिए।
- यह स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण पर सरकार के जोर को भी दर्शाता है, जिससे विदेशी रक्षा प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम होती है। जीआरएसई जून 2026 में एक नवतन्त्री सीपीएसई बन गया, जो भारत के रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है।

स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 मिशन के लिए 3-लॉन्च डील पर हस्ताक्षर किए



- स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 कक्षीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके समर्पित मिशनों के लिए केरल स्थित एचईएक्स20 स्पेस के साथ तीन-लॉन्च समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मिशन 2027 के अंत में शुरू होने वाला है। यह समझौता भारत के उभरते निजी अंतरिक्ष-प्रक्षेपण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है और स्वदेशी प्रक्षेपण सेवाओं की बढ़ती व्यावसायिक मांग को दर्शाता है।

अतिरिक्त तथ्य:

- जीआरएसई: रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।
- एनजीओपीवी कार्यक्रम: जीआरएसई चार एनजीओपीवी का निर्माण कर रहा है, जिसमें व्यापक कार्यक्रम में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) भी शामिल है।
- समुद्री सुरक्षा: ओपीवी विशेष रूप से ईईजेड निगरानी, समुद्री डकैती विरोधी, तस्करी विरोधी, खोज और बचाव और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए उपयोगी हैं।
- आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म रक्षा स्वदेशीकरण, घरेलू विनिर्माण, रोजगार और तकनीकी क्षमता में योगदान करते हैं।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान अंक: NGOPV श्रुति को GRSE, कोलकाता में लॉन्च किया गया।
- यार्ड: 3037.
- प्रकार: अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोता
- बिल्डर: जीआरएसई।
- मुख्य विषय: समुद्री सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी जहाज निर्माण।
- मुख्य भूमिकाएँ: निगरानी, समुद्री डकैती-रोधी, HADR, SAR और अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा।
- सामरिक संदर्भ: हिंद महासागर क्षेत्र और समुद्री डोमेन जागरूकता।

विक्रम-1 के बारे में:

- विक्रम-1 स्काईरूट का छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसे मुख्य रूप से लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में तेनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के लिए लचीला, समर्पित और राइडशेयर लॉन्च विकल्प प्रदान करना है। स्काईरूट LEO को 350 किलोग्राम और सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में 260 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता सूचीबद्ध करता है।
- यह समझौता पृथ्वी-अवलोकन और पेलोड-प्रदर्शन मिशनों का समर्थन करेगा, जिससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष परिवहन में भारत की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा।

स्काईरूट एयरोस्पेस के बारे में:

- स्काईरूट एयरोस्पेस हैदराबाद स्थित एक निजी अंतरिक्ष-तकनीक कंपनी है जो लॉन्च वाहनों की विक्रम श्रृंखला विकसित कर रही है।

- नवंबर 2022 में, स्काईरूट का विक्रम-एस मिशन प्रारंभ के तहत श्रीहरिकोटा से सबऑर्बिटल लॉन्च करने वाला पहला निजी तौर पर विकसित भारतीय रॉकेट बन गया।

HEX20 स्पेस के बारे में:

- हेक्स20 स्पेस, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल में है, मॉड्यूलर उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इसकी सैटेलाइट-बस तकनीक वाणिज्यिक, शैक्षणिक और अन्य अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न पेलोड को समायोजित कर सकती है।

महत्त्व:

समझौते में इस बात पर प्रकाश डाला गया है:

- भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास।
- एक घरेलू वाणिज्यिक लॉन्च पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
- उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाओं में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाना।
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्थन।
- छोटे-उपग्रह ऑपरेटरों के लिए अंतरिक्ष तक अधिक पहुंच।

अतिरिक्त तथ्य:

पूर्व परमाणु वैज्ञानिक और पीपुल्स साइंस एडवोकेट एम. पी. परमेश्वरन का 91 वर्ष की आयु में निधन



- बीएआरसी के पूर्व वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक और पीपुल्स साइंस एडवोकेट एम.पी. परमेश्वरन का केरल में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोगशालाओं और कक्षाओं से परे ले जाने और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए जाना जाता था।

वैज्ञानिक कैरियर:

- एम.पी. परमेश्वरन को एक परमाणु इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) में काम किया था। बाद में वह औपचारिक वैज्ञानिक अनुसंधान से विज्ञान को लोकप्रियता, शिक्षा और

- इन-स्पेस: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सक्षम करने और विनियमित करने के लिए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: उपग्रहों, प्रक्षेपण वाहनों और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं सहित संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में निजी संस्थाओं की अधिक भागीदारी की मांग करती है।
- मिशन प्रारंभ: विक्रम-एस अपनी 2022 की सबऑर्बिटल उड़ान के दौरान 88.8 किमी की ऊंचाई पर पहुंच गया।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान मुद्दा: स्काईरूट-HEX20 तीन-लॉन्च समझौता।
- प्रक्षेपण यान: विक्रम-11।
- मिशन: पृथ्वी अवलोकन और पेलोड प्रदर्शन।
- निर्धारित: 2027 के अंत से।
- स्काईरूट: हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी।
- HEX20: तिरुवनंतपुरम स्थित अंतरिक्ष-तकनीकी स्टार्टअप।
- मुख्य विषय: निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, वाणिज्यिक अंतरिक्ष, एलईओ, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत।
- नीति लिंक: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और इन-स्पेस।

जमीनी स्तर पर विकास की ओर ले गए। उन्होंने केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केएसएसपी) को एक व्यापक जन विज्ञान आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केरल शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP):

- केएसएसपी की स्थापना 1962 में शुरू में विज्ञान लेखकों के एक मंच के रूप में की गई थी। यह बाद में एक प्रमुख लोगों के विज्ञान संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसने वैज्ञानिक स्वभाव, साक्षरता, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया। परमेश्वरन इसके महत्वपूर्ण नेताओं में से थे और उन्होंने क्षेत्रीय-भाषा संचार के माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में मदद की।

वैज्ञानिक स्वभाव में योगदान:

- उनका काम संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एच) के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनाता है।

- उनके दृष्टिकोण ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान को विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक निर्णय लेने, सामाजिक विकास और समुदायों के सशक्तिकरण में योगदान देना चाहिए।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान अंक: पूर्व परमाणु वैज्ञानिक और विज्ञान अधिवक्ता एम.पी. परमेश्वरन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- संस्थान: बीएआरसी - परमाणु ऊर्जा विभाग।
- विज्ञान आंदोलन: केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केएसएसपी)।
- संवैधानिक लिंक: अनुच्छेद 51 ए (एच) - वैज्ञानिक स्वभावा।
- मुख्य विषय: विज्ञान संचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साक्षरता, जमीनी स्तर पर विकास।
- महत्वपूर्ण अवधारणा: जन विज्ञान आंदोलन।

गुजरात प्राकृतिक खेती के लिए चार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा



- गुजरात सरकार ने 2026-27 के लिए प्राकृतिक खेती के लिए 20 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चार उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को मंजूरी दी है।
- ये केंद्र नवसारी, मोरबी, भावनगर और छोटा उदयपुर जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
- प्रत्येक केंद्र में एक समय में 100 किसानों को प्रशिक्षित करने की आधुनिक सुविधाएं और क्षमता होगी, जो प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगी।

प्राकृतिक खेती क्या है?

- प्राकृतिक खेती एक रसायन-मुक्त, कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, पशुधन-एकीकृत खेती, विविध फसलों और प्राकृतिक जैव-आदानों पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जलवायु लचीलापन में सुधार करते हुए बाहरी रूप से खरीदे गए कृषि आदानों पर निर्भरता को कम करना है।

उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित हैं:

- प्राकृतिक खेती के तरीकों में किसानों को प्रशिक्षित करें।
- स्थान-विशिष्ट कृषि मॉडल प्रदर्शित करें।
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करें।
- कम इनपुट लागत और संभावित रूप से कृषि लाभप्रदता में सुधार करें।
- मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा देना।
- जलवायु-अनुकूल कृषि को मजबूत करना।
- किसानों और कृषि संस्थानों के बीच ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना।

प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF):

- यह पहल राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का पूरक है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित किया था।
- मिशन का कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य पूरे भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्यों में इनपुट लागत को कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान को मजबूत करना और किसान-अनुकूल प्रमाणन तंत्र विकसित करना शामिल है।
- मार्च 2026 तक, लगभग 8.80 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाले 18,786 क्लस्टर बनाए गए थे और 18.19 लाख किसानों ने एनएमएनएफ के तहत नामांकन किया था।

अतिरिक्त तथ्य:

- पहले का कार्यक्रम: 2024 में NMNF के रूप में विस्तारित होने से पहले परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के एक घटक, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया था।
- जैव-इनपुट: एनएमएनएफ जीवमृत और बीजमृत जैसे स्थानीय रूप से तैयार इनपुट को बढ़ावा देता है और जैव-इनपुट संसाधन केंद्र प्रदान करता है।
- गुजरात लिंक: गुजरात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसमें हलोल में गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विश्वविद्यालय भी शामिल है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान अंक: गुजरात में चार प्राकृतिक कृषि उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई।
- आवंटन: 2026-27 के लिए ₹20 करोड़।
- लोकेशन: नवसारी, मोरबी, भावनगर, छोटा उदयपुर
- क्षमता: एक समय में प्रति केंद्र 100 किसान।
- राष्ट्रीय योजना: प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन।
- स्वीकृत: नवंबर 2024।
- परिश्रम: ₹2,481 करोड़

- मुख्य विषय: सतत कृषि, मृदा स्वास्थ्य, जलवायु लचीलापन, इनपुट-लागत में कमी।

डीसा को मिलेगी एशिया की पहली डेजर्ट-थीम वाली नाइट सफारी



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने बनासकांठा जिले के जूना डीसा में गुजरात के प्रस्तावित डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को एशिया के पहले रेगिस्तान-थीम वाले ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क के रूप में वर्णित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹542.14 करोड़ है और यह लगभग 103 हेक्टेयर को कवर करेगी। यह परियोजना गुजरात वन विभाग द्वारा विकसित की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं:

- प्रस्तावित सुविधा में लगभग 83 प्रजातियों के लगभग 2,700 जानवरों और पक्षियों के रहने की उम्मीद है। इसमें पांच समर्पित नाइट-सफारी बाड़े होंगे, साथ ही एक सरीसृप सफारी, एवियरी, तितली पार्क, एक्वेरियम, वर्षावन बायोम और व्याख्या केंद्र भी होंगे। यह परियोजना भारतीय, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े वन्यजीवों का प्रदर्शन करेगी। नियोजित भारतीय प्रजातियों में चिंकारा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी, कैराकल, भारतीय भेड़िया और एशियाई शेर के साथ-साथ चयनित विदेशी रेगिस्तानी प्रजातियां शामिल हैं।

पर्यावरणीय महत्व:

- इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को स्थायी इकोटूरिज्म के साथ जोड़ना है। प्रस्तावित पर्यावरणीय उपायों में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, सीवेज उपचार, ठोस-अपशिष्ट प्रबंधन, देशी वृक्षारोपण और हरित बफर क्षेत्र शामिल हैं। इस स्थान का चयन इसकी प्राकृतिक रेत के टीलों, बनास नदी से निकटता और सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए किया गया

था। यह परियोजना वन्यजीव बचाव, पुनर्वास, संरक्षण प्रजनन और पर्यावरण शिक्षा का भी समर्थन करेगी।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA):

- CZA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में चिड़ियाघरों की मान्यता, विनियमन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षाओं के लिए, सीजेडए को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से अलग किया जाना चाहिए, जो मुख्य रूप से बाघ संरक्षण और बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

गुजरात: महत्वपूर्ण वन्यजीव तथ्य:

- गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है
- कच्छ के छोटे रण में भारतीय जंगली गधा अभयारण्य भारतीय जंगली गधे की रक्षा करता है
- ब्लैकबक नेशनल पार्क, वेलावदर काले हिरण के लिए जाना जाता है
- कच्छ की खाड़ी में स्थित मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- वर्तमान अंक: CZA ने गुजरात में एशिया की पहली रेगिस्तान-थीम वाली नाइट सफारी को मंजूरी दी।
- स्थान: जूना डीसा, बनासकांठा, गुजरात।
- क्षेत्रफल: 103 हेक्टेयर।
- लागत: ₹542.14 करोड़।
- प्रजातियां: ~83 प्रजातियां; ~2,700 जानवर/पक्षी।
- अनुमोदन: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)।
- एजेंसी: गुजरात वन विभाग।
- मुख्य विशेषताएं: 5 नाइट-सफारी बाड़ों, सरीसृप सफारी, एवियरी और तितली पार्क।

हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026

- बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026 रिपोर्ट ने भारत के अग्रणी परिवार के स्वामित्व वाले व्यावसायिक समूहों

को उनके व्यवसायों के मूल्य के आधार पर स्थान दिया है। अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि कुमार मंगलम बिड़ला परिवार दूसरे स्थान

पर रहा। रिपोर्ट भारत के परिवार-नियंत्रित उद्यमों के बढ़ते आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालती है।



शीर्ष पारिवारिक व्यवसाय:

- मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले और रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े अंबानी परिवार लगभग 28.23 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के मूल्यांकन के साथ सूची में शीर्ष पर है। कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व में और आदित्य बिड़ला समूह से जुड़ा बिड़ला परिवार दूसरे स्थान पर रहा। JSW से जुड़े जिंदल परिवार तीसरे स्थान पर है, जिसका मूल्यांकन FY26 में लगभग ₹8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जिंदल परिवार ने वर्ष के दौरान प्रमुख पारिवारिक व्यवसायों में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की।

कुल मूल्य

- 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 300 सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय एक साथ लगभग ₹138 लाख करोड़ (\$1.46 ट्रिलियन) के हैं। अकेले शीर्ष 10 परिवारों का संयुक्त मूल्यांकन लगभग 70.5 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत की कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था में परिवार के स्वामित्व वाले उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य परीक्षा तथ्य:

- हुरुन इंडिया: अनुसंधान और धन-रैंकिंग संगठन जो भारतीय व्यवसायों और उद्यमियों पर विभिन्न रैंकिंग प्रकाशित करता है।

रिपोर्ट: बार्कलेज प्राइवेट क्लाइट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026।

श्रेणी	परिवार	कंपनी/समूह
नंबर 1	अंबानी परिवार	रिलायंस इंडस्ट्रीज
नंबर 2	कुमार मंगलम बिड़ला का परिवार	आदित्य बिड़ला समूह
नंबर 3	जिंदल परिवार	जेएसडब्ल्यू
सर्वोत्तम 300	—	संयुक्त मूल्य: ₹138 लाख करोड़
सर्वोत्तम 10	—	संयुक्त मूल्य: ₹70.5 लाख करोड़

- मुख्य विषय: पारिवारिक व्यवसाय, कॉर्पोरेट मूल्यांकन, धन सृजन, औद्योगिक विकास और उत्तराधिकार।

अतिरिक्त तथ्य:

- रैंकिंग व्यावसायिक मूल्य को मापती है, न कि केवल परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत निवल मूल्य। इसलिए, इसे हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो धन के आधार पर व्यक्तियों/परिवारों को रैंक करती है।

लेट्स रिवाइज

- ❖ खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2026 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है? **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957**
- ❖ कौन सी नीति ग्रामीण पुस्तकालयों, वाचनालय और डिजिटल पुस्तकालयों को मजबूत करने पर जोर देती है? **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020**
- ❖ किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है? **अनुच्छेद 43B**
- ❖ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी मौजूदा राज्य का नाम बदल सकती है? **अनुच्छेद 3.**
- ❖ श्रुति, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है, किस प्रकार का जहाज है? **अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी)।**
- ❖ कौन सा प्रक्षेपण यान HEX20 स्पेस के साथ स्काईरूट एयरोस्पेस के वाणिज्यिक प्रक्षेपण समझौते से जुड़ा है? **विक्रम-1.**
- ❖ पूर्व बीएआरसी वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक और पीपुल्स साइंस एडवोकेट का नाम बताइए, जिनका हाल ही में निधन हो गया? **एम.पी. परमेश्वरन**
- ❖ केंद्र सरकार का कौन सा मिशन प्राकृतिक खेती को एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में बढ़ावा देता है? **प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ)।**
- ❖ किस राज्य को जूना डीसा में एशिया के पहले रेगिस्तान-थीम वाले ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क के लिए CZA की मंजूरी मिली है? **गुजरात।**
- ❖ बार्कलेज प्राइवेट क्लाइट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस 2026 लिस्ट में कौन सा परिवार सबसे ऊपर है? **अंबानी परिवार (रिलायंस इंडस्ट्रीज)।**



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA